कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा/संस्था/सी–8/विविध/2018 दिनांक 06/11/19

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
   माध्यमिक शिक्षा ।

विषयः– दोहरा पदस्थापन हो जाने के स्थिति में प्रधानाचार्य एवं प्राध्यापकों को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा में निर्धारित दिनांक को उपस्थिति होने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभाग द्वारा प्रसारित स्थानान्तरण आदेशों के तहत विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्राध्यापकों (स्कूल शिक्षा) का दोहरा पदस्थापन/न्यायालय से स्थगन प्राप्त होने की परिस्थिति में, आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रभावित होने वाले कार्मिकों को निम्नानुसार निर्धारित दिनांक अनुसार विद्यार्थी हित में शैक्षिक व्यवस्था सुसंचालित करने के उद्देश्य से दोनो कार्मिक मय न्यायालय दस्तावेजों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें, **ध्यान रहे उक्त प्रकरणों के निष्पादन के संबंध में शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जा रहा है, अतः किसी भी प्रकार की लापरवाही की श्रेणी में पाये जाने पर शासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रेषित कर दिये जावेंगे** :–

क्रं.सं.	पद	कार्यालय में उपस्थिति दिनांक
1.	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	11.11.19
2.	प्राध्यापक–(अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, इतिहास, वणिज्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संगीत, दर्शनशास्त्र, उर्दू, राजस्थानी, सिंधी, पंजाबी, चित्रकला)	13.11.19
3.	प्राध्यापक–(हिन्दी, राजनीति विज्ञान)	14.11.19

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) –संभाग कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में अपने अधीनस्थ कार्यालयों में प्रभावी पर्यवेक्षण संबंधी कार्यवाही का सम्पादन करावें। ।
2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
3. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, संस्थापन–सी एवं एबी अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
5. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)